>

Title: Need to implement the provisions of 'The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर): वन अधिकार कानून विधेयक 2006 में पास किया गया था। इस कानून क तहत वन क्षेत्र में रहने वाले आदिम जनजाति एवं अन्य जातियों को जो वन क्षेत्र में रहते हैं, को अधिकार दिया गया है, परन्तु आज तक इस कानून को मूल रूप में लागू नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप जनजातियों को अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा है।

अतः मैं मांग करता हूं कि इस कानून को शीघ्र लागू किया जाये।